

# राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सोन भवन, तृतीय मंजिल,  
बीरचंद पटेल मार्ग, पटना- 800 001

पत्र संख्या - पं.नि.-30-01/2005 - 222

पटना, दिनांक - 19.01.2006

प्रेषक,

रघुवंश कुमार सिन्हा,  
सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी -सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत)।

**विषय :** पंचायत निर्वाचन, 2006 —पंचायत निकायों तथा ग्राम कचहरी के निर्वाचन क्षेत्रों / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण से संबंधित अद्यतन निर्देश।

**प्रसंग :** आयोग का पत्रांक 603 दिनांक 13.05.2005.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं तत्समय प्रवृत्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 तथा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 1995 के प्रावधानों के आलोक में आपके द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य पद पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कोटि एवं इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण/ आवंटन का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा उसका अनुमोदन भी आयोग द्वारा दिया जा चुका है।

2. इस बिच विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1-01/2006 ले0 जे0-03 दिनांक 14.01.06 द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 को निरसित कर बिहार पंचायत राज अध्यादेश, 2006(बिहार अध्यादेश संख्या 1, 2006) प्रख्यापित किया गया है जिसमें पंचायत निकायों के अतिरिक्त ग्राम कचहरी के गठन हेतु भी निर्वाचन कराने का प्रावधान है, तथा अध्यादेश की धारा 13, 38, 65 एवं 91 में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति /जिला परिषद् के सदस्यों तथा ग्राम कचहरी के पंच के पदों के लिए आरक्षण एवं धारा 15, 40, 67 एवं 93 में ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद् के अध्यक्ष तथा ग्राम कचहरी के सरपंच के पदों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद् के सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच तथा ग्राम कचहरी के पंच के पदों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण / आवंटन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में संबंधित जिला दंडाधिकारी द्वारा किया जाना है, तथा जिला परिषद् अध्यक्ष के पदों का आरक्षण / आवंटन आयोग द्वारा किया जाना है।

3. बिहार पंचायत राज अध्यादेश, 2006 में आरक्षण संबंधी मुख्य प्रावधान निम्नवत हैं :-

(i) ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद् / ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों पर निर्वाचन हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किए जायेंगे, परन्तु प्रत्येक स्तर पर ऐसे आरक्षित स्थानों की संख्या उस स्तर पर अनुमान्य कुल स्थानों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ii) त्रिस्तरीय पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या एवं कुल स्थानों की संख्या का अनुपात यथाशक्य वही होगा जो अनुपात संबंधित पंचायत निकाय/ ग्राम कचहरी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है।

(iii) त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/ ग्राम कचहरी में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के बाद शेष बचे निर्वाचन क्षेत्रों में से उस क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या का 20 (बीस) प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जायेंगे, किन्तु इनकी संख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी।

(iv) त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/ ग्राम कचहरी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक कोटि अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों एवं अन्य के लिए अनारक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अनारक्षित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(v) किसी पंचायत समिति में ग्राम पंचायत के मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच के कुल पदों का उतने प्रतिशत पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जायेंगे जितना कि उस पंचायत समिति में क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत पंचायत समिति की कुल ग्रामीण जनसंख्या में है।

(vi) किसी पंचायत समिति में ग्राम पंचायत के मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच के कुल पदों की संख्या का बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जायेंगे किन्तु इनकी संख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी।

(vii) किसी पंचायत समिति में ग्राम पंचायत के मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच के कुल पदों में से प्रत्येक कोटि अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों एवं अन्य के लिए अनारक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अनारक्षित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(viii) किसी जिला में पंचायत समिति के प्रमुख के कुल पदों का उतने प्रतिशत पद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जायेंगे जितना कि उस पंचायत समिति में क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत जिला की कुल ग्रामीण जनसंख्या में है।

(ix) किसी जिला में पंचायत समिति के प्रमुख के कुल पदों की संख्या का बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जायेंगे, किन्तु इनकी संख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी।

(x) किसी जिला में पंचायत समिति के प्रमुख के कुल पदों में से प्रत्येक कोटि अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों एवं अन्य के लिए अनारक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथारिथति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अनारक्षित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

4. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के अध्याय 3 में पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख तथा ग्राम कचहरी के सरपंच के पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं इन कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित / आवंटित किये जाने के संबंध में प्रावधान किये गये हैं, जो निरसित बिहार पंचायत पंचायत निर्वाचन नियमावली, 1995 के सदृश्य हैं, सिवाय इसके कि महिलाओं के लिए स्थानों/पदों का आरक्षण/आवंटन संख्या क्रम में नहीं कर संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/पंचायत निकाय/ग्राम कचहरी की जनसंख्या के अवरोही क्रम में किया जाना है। पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण/आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर नहीं कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बाद शेष बचे निर्वाचन क्षेत्रों में, कुल पदों के अधिकतम बीस प्रतिशत की अधिसीमा के अधीन, उनकी (शेष निर्वाचन क्षेत्रों की) कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य) के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को किया जाना है।

आरक्षण के दृष्टिकोण से पंचायत निकायों के लिए वर्ष 2006 में होने वाला निर्वाचन द्वितीय निर्वाचन माना जायेगा, किन्तु ग्राम कचहरी के लिए किया जाने वाला निर्वाचन प्रथम निर्वाचन माना जायेगा। अतएव बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 11 के आलोक में पंचायत निकायों में विभिन्न कोटि के लिए अनुमान्य आरक्षित स्थान एवं पदों के आवंटन हेतु अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं अनुसूचित जाति के क्रम में स्थान/पद आवंटित किये जायेंगे तथा शेष स्थान/पदों को आवंटित करने के लिए इसी क्रम में पुनरावृत्ति की जायेगी जबतक कि संबंधित कोटि के लिए आरक्षित स्थान/पद का आवंटन पूर्ण न हो जाये।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार पंचायत राज अध्यादेश, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 में पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के स्थानों / पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों एवं आवंटन के तरीके के आलोक में संशोधित आरक्षण प्रस्ताव तैयार करने हेतु निम्न निदेश दिये जाते हैं :-

**(क) ग्राम पंचायत/पंचायत समिति /जिला परिषद के सदस्य पद का आरक्षण ;**

सर्वप्रथम प्रपत्र-1 भाग-1 में विभिन्न कोटि यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होने वाले स्थानों की गणना की जाय। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए पंचायत निकायों के स्थानों /पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधान निरसित अधिनियम एवं प्रख्यापित अध्यादेश में सदृश्य होने के कारण इन कोटि के लिए आरक्षित होने वाले पदों की संख्या पूर्ववत् रहेगी। पंचायत निकाय के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत की अधिसीमा में (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों सहित) 20 प्रतिशत से अनधिक स्थान पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने हैं। इस आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए अनुमान्य स्थानों की गणना कर ली जायेगी।

### उदाहरण-1

संलग्न प्रपत्र-2 भाग-1 में पिपरा बगाही ग्राम पंचायत के सदस्य के कुल 14 स्थानों में से 3 स्थान अनुसूचित जाति के लिए तथा शून्य स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं। पिपरा बगाही ग्राम पंचायत के कुल पदों /स्थानों का 50 प्रतिशत 7 होता है तथा 20 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक 2.8 अर्थात् 2 पद होता है, अतएव 50 प्रतिशत की अधिसीमा में पिपरा बगाही ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग के लिए मात्र दो पद आरक्षित होंगे।

प्रत्येक कोटि में 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने हैं। ग्राम पंचायत पिपरा बगाही में अनुसूचित जाति के 3 पद हैं, जिसका 50 प्रतिशत 1.5 होता है। अतएव ग्राम पंचायत बगाही में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए मात्र एक पद आरक्षित होगा (क्योंकि 1.5 को 2 पद मानने से 50 प्रतिशत की अधिसीमा पार कर जायेगी)। इसी प्रकार ग्राम पंचायत पिपरा बगाही में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित दो पदों का 50 प्रतिशत से अनधिक अर्थात् एक पद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत पिपरा बगाही में अन्य कोटि के लिये शेष 9 पदों में पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद अर्थात् 4 पद अन्य कोटि की महिला के लिये आरक्षित किये जायेंगे।

**आरक्षित स्थानों/ पदों का आवंटन :-** पंचायत निकायों के लिए वर्ष 2006 में होने वाला निर्वाचन द्वितीय निर्वाचन है, अतएव बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 11 के आलोक में विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं अनुसूचित जाति के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटन किये जायेंगे और तथा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने में इसी क्रम की पुनरावृत्ति तब तक की जायेगी जब तक कि अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिये अनुमान्य स्थानों/पदों का आवंटन पूर्ण नहीं होगा। नियम 11 के आलोक में पिछड़े वर्गों के लिए अनुमान्य आरक्षित स्थान / पद शेष निर्वाचन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

उदाहरण स्वरूप, ग्राम पंचायत पिपरा बगाही के कुल 14 पदों में से 3 पद अनुसूचित जाति के लिए तथा शेष 11 पद अन्य कोटि के लिए अनुमान्य हैं। कुल स्थानों का 50 प्रतिशत 7 है, अतएव 50 प्रतिशत से अनधिक पद की संख्या 7 ही होगी। कुल पद का 20 प्रतिशत 2.8 होता है, अतएव पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत की अधिसीमा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों/पदों सहित पिछड़े वर्गों के लिये 20 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद 2 होंगे। प्रपत्र-2 भाग-3 में चक्रानुक्रम आवंटन के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-13, 14 एवं 4 अनुसूचित जाति को आवंटित किये गये हैं तथा शेष 11 स्थान अन्य कोटि के लिए बच जाते हैं जो उन निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के अवरोही क्रम में 1, 10, 7, 8, 3, 5, 2, 11, 6, 9 एवं 12 हैं। नियमावली के प्रावधानों के आलोक में पिछड़े वर्गों को उनकी अनुमान्य संख्या में, अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर पिछड़े वर्गों के लिए कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0-1 एवं 9 आवंटित किये जायेंगे तथा शेष प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-7, 8, 3, 5, 2, 11, 6, 10 एवं 12 अन्य कोटि को आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 13, 14 एवं 4 में से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 13, अनुसूचित जाति महिला को आवंटित किया जायेगा क्योंकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या के

अवरोही क्रम में वह उपर है। उसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1 एवं 9 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 9 पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आवंटित होगा क्योंकि उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में वह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से उपर है। उसी प्रकार अन्य कोटि के लिए शेष कुल 9 स्थानों में 50 प्रतिशत से अनधिक पदों की संख्या-4.5 अर्थात् 4 पद अन्य कोटि की महिला के लिए आरक्षित होंगे। जनसंख्या के अवरोही क्रम में उपर आने वाले 4 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 10, 7, 8 एवं 3 हैं। किन्तु इनमें से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-3 गत निर्वाचन में अन्य कोटि महिला के लिए आरक्षित रहा है, इसलिए इस बार अन्य कोटि की महिला के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-3 आरक्षित नहीं होगा तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-3 के बाद अवरोही क्रम में आने वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-13 है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, अतएव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या - 13 के बाद अवरोही क्रम में आने वाला अगला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या - 5 अन्य कोटि की महिला के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस प्रकार अन्य कोटि की महिला के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-10, 7, 8, एवं 5 आरक्षित किया जायेगा।

उपर कंडिका में बतलाई गई प्रक्रिया के ही अनुसार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य पद का आरक्षण एवं आवंटन अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तथा संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए किया जायेगा। उदाहरण -2 में इसे स्पष्ट किया गया है।

(ख) ग्राम पंचायत मुखिया एवं पंचायत समिति के प्रमुख के पदों का आरक्षण - वर्ष 2006 में होने वाला पंचायत निर्वाचन ग्राम पंचायत मुखिया एवं पंचायत समिति के प्रमुख के लिये द्वितीय निर्वाचन होगा अतएव बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 11 के आलोक में पहले अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं अनुसूचित जाति के लिये अनुमान्य संख्या में पदों के आवंटन हेतु मुखिया / प्रमुख के पदों के निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं अनुसूचित जाति के क्रम में किया जायेगा।

सर्वप्रथम प्रपत्र-2 भाग-1 में ग्राम पंचायत मुखिया / पंचायत समिति के प्रमुख के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कोटि के लिए अनुमान्य पदों की गणना की जायेगी। किसी पंचायत समिति / जिला परिषद् में यथास्थिति ग्राम पंचायत मुखिया/ पंचायत समिति के प्रमुख के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के पदों की संख्या कुल पदों की संख्या का उतना प्रतिशत होगी जितनी कि उनकी जनसंख्या का प्रतिशत यथास्थिति पंचायत समिति/ जिला परिषद् की कुल संख्या में है तथा इस क्रम में अनुमान्य पदों की संख्या की गणना में .5 या उससे अधिक रहने पर अगले पूर्णांक पर परिगणित की जायेगी। पंचायत समिति/ जिला परिषद् में यथास्थिति ग्राम पंचायत मुखिया/ पंचायत समिति के प्रमुख के कुल पदों के 50 प्रतिशत की अधिसीमा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों सहित कुल पदों के 20 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जायेंगे। प्रत्येक कोटि के लिए आरक्षित पदों के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक पद संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

ग्राम पंचायत के मुखिया के पदों का विभिन्न कोटि के लिए आवंटन:- पंचायत समिति के अन्तर्गत पडने वाले सभी ग्राम पंचायतों की अनुसूचित जनजाति, अन्य, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को प्रपत्र-2 भाग-2 में ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रवार अंकित किया जायेगा। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य की जनसंख्या को अवरोही क्रम में प्रपत्र-2 भाग-3 में अंकित किया जायेगा। तदनुसार , अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं अनुसूचित जाति के क्रम में प्रत्येक कोटि के लिए एक-एक पद आवंटित किये

जायेंगे तथा इस क्रम की पुनरावृत्ति तब तक की जायेगी जब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कोटि को अनुमान्य पदों की संख्या आवंटित न हो जाये। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के पश्चात शेष निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को पिछड़े वर्ग के लिए उन्हें अनुमान्य संख्या में आवंटित किया जायेगा।

### उदाहरण-3

खानपुर पंचायत समिति के अन्तर्गत कुल 19 ग्राम पंचायत में 4 पद अनुसूचित जाति, शून्य पद अनुसूचित जनजाति, 3 पद पिछड़ा वर्ग एवं 12 पद अन्य कोटि के लिए अनुमान्य हैं। प्रपत्र-2 भाग-3 में विभिन्न कोटि को चक्रानुक्रम में आवंटन करने पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या-8, 2, 1, 11, 15, 6, 17, 9, 4, 14, 16, 3, 5, 19 एवं 12 अन्य कोटि को आवंटित होते हैं तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-10, 18, 13 एवं 7 अनुसूचित जाति को आवंटित होते हैं। अन्य कोटि को आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों में से उनकी कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में उपर आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में से पिछड़े वर्गों के लिए 3 निर्वाचन क्षेत्र अर्थात निर्वाचन क्षेत्र संख्या-8, 2 एवं 1 पिछड़े वर्गों के लिए आवंटित किये जायेंगे, तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-11, 15, 6, 17, 9, 4, 14, 16, 3, 5, 19 एवं 12 अन्य कोटि के लिये आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 4 का यथाशक्य 50 प्रतिशत के निकटतम किन्तु उससे अनधिक अर्थात 2 पद अनुसूचित जाति महिला के आरक्षित किया जायेगा। इस निमित्त प्रपत्र-2 भाग-3 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में उपर आनेवाले निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 एवं 18 अनुसूचित जाति महिला के लिए आवंटित किए जायेंगे।

इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 3 का यथाशक्य 50 प्रतिशत के निकटतम किन्तु उससे अनधिक अर्थात एक पद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया जायेगा एवं इस निमित्त प्रपत्र-2 भाग-3 में उन निर्वाचन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में उपर आने वाला निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आवंटित किया जायेगा।

इसी प्रकार अन्य कोटि के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 12 का 50 प्रतिशत से अनधिक अर्थात 6 पद अन्य कोटि महिला के लिए आरक्षित किया जायेगा एवं इस निमित्त प्रपत्र-2 भाग-3 में कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में उपर आने वाले निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11, 15, 6, 17, 9 एवं 4 अन्य कोटि महिला के लिए आवंटित किए जायेंगे।

### प्रमुख के पदों का आवंटन

उपर्युक्त प्रक्रिया अनुसार ही जिला अन्तर्गत प्रमुख के पदों का अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य एवं अनुसूचित जाति तथा संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षण/आवंटन किया जायेगा।

(ग) ग्राम कचहरी के पंच के पदों का आरक्षण एवं आवंटन- वर्ष 2006 में ग्राम कचहरी का पहली बार निर्वाचन कराया जा रहा है, अतएव इसे प्रथम निर्वाचन मानते हुए बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 11 (2) के आलोक में किसी ग्राम कचहरी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कोटि के लिए अनुमान्य संख्या में स्थानों के आवंटन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के क्रम में किया जायेगा।

ग्राम कचहरी के पदों का आरक्षण-सर्वप्रथम किसी ग्राम कचहरी के पंच के कुल पदों एवं कोटिवार जनसंख्या के संबंध में प्रपत्र-2 भाग-1 में विवरणी तैयार कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य

कोटि के लिए अनुमान्य स्थानों की गणना की जायेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या ग्राम कचहरी के पंच के कुल पदों की उतनी प्रतिशत होगी जितनी कि उनकी जनसंख्या का प्रतिशत ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या में है। इस क्रम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये अनुमान्य पदों की संख्या की गणना में .5 या उससे अधिक रहने पर अगले पूर्णांक पर परिगणित की जायेगी। ग्राम कचहरी के पंच के कुल पदों का 50 प्रतिशत की अधिसीमा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या सहित कुल पदों का 20 प्रतिशत से अनधिक पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया जायेगा। प्रत्येक कोटि के लिए आरक्षित पदों के 50 प्रतिशत से अनधिक पद संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

#### उदाहरण -4

संलग्न प्रपत्र-2 भाग-1 में पिपरा बगाही ग्राम कचहरी के कुल 14 स्थानों में से 3 स्थान अनुसूचित जाति के लिए तथा शून्य स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं। पिपरा बगाही के ग्राम कचहरी के कुल पदों/स्थानों का 50 प्रतिशत 7 है तथा 20 प्रतिशत से अनधिक 2.8 अर्थात् 2 पद होता है अतएव 50 प्रतिशत के अधिसीमा में पिपरा बगाही ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग के लिए दो पद ही आरक्षित होंगे।

प्रत्येक कोटि में 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने हैं। ग्राम कचहरी पिपरा बगाही में अनुसूचित जाति के 3 पद हैं जिसका 50 प्रतिशत 1.5 होता है। अतएव ग्राम कचहरी पिपरा बगाही में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए मात्र एक पद आरक्षित होगा। इसी प्रकार ग्राम कचहरी पिपरा बगाही में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित दो पदों का 50 प्रतिशत से अनधिक अर्थात् एक पद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगा। अन्य कोटि के लिये शेष 9 पदों का पचास प्रतिशत 4.5 होता है अतएव 50 प्रतिशत से अनधिक अर्थात् 4 पद अन्य कोटि की महिला के लिए आरक्षित होंगे।

**आरक्षित स्थानों/ पदों का आवंटन :-** प्रपत्र-2 भाग-3 में चक्रानुक्रम सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप, ग्राम कचहरी पिपरा बगाही के कुल 14 पदों में से 3 पद अनुसूचित जाति के लिए तथा शेष 11 पद अन्य कोटि के लिए अनुमान्य हैं। कुल स्थानों का 50 प्रतिशत 7 है, अतएव 50 प्रतिशत से अनधिक पद की संख्या 7 होती है। कुल पदों का 20 प्रतिशत 2.8 होता है अतएव पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत की अधिसीमा में 20 प्रतिशत से अनधिक पद 2 होगा। प्रपत्र-2 भाग-3 में चक्रानुक्रम आवंटन के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-9, 12 एवं 13 अनुसूचित जाति को आवंटित किये गये हैं तथा शेष 11 स्थानों, जो कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में 1, 10, 7, 8, 3, 5, 14, 2, 4, 11 एवं 6 हैं, में से पिछड़े वर्गों के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0-14 एवं 1 आवंटित किये जायेंगे तथा शेष स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-7, 8, 3, 5, 10, 2, 4, 11 एवं 6 अन्य कोटि को आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-9, 12 एवं 13 में से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 9, अनुसूचित जाति महिला को आवंटित किया जायेगा क्योंकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में वह उपर है। उसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्र संख्या-14 एवं 1 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 14 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आवंटित होगा क्योंकि कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में वह उपर है। उसी प्रकार अन्य कोटि के लिए आरक्षित कुल 9 स्थानों में 50 प्रतिशत से अनधिक पदों की संख्या- 4.5 अर्थात् 4 पद अन्य कोटि की महिला के लिए आरक्षित होंगे। अन्य कोटि के अवरोही क्रम में पहले आने वाले 4 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-10, 7, 8 एवं 3 हैं, जिन्हें अन्य कोटि की महिला के लिए आवंटित किया जायेगा।

(घ) पंचायत समिति अन्तर्गत ग्राम कचहरी के सरपंचों का आरक्षण:- वर्ष 2006 में ग्राम कचहरी का निर्वाचन पहली बार कराया जा रहा है , अतएव इसे प्रथम निर्वाचन मानते हुए बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 11 (2) के आलोक में किसी पंचायत समिति के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी ग्राम कचहरी के सरपंच के पदों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कोटि के लिए अनुमान्य संख्या में आरक्षण हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के क्रम में किया जायेगा।

सर्वप्रथम प्रपत्र-2 भाग-1 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के कोटि के लिए अनुमान्य पदों की गणना की जायेगी। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के पदों की संख्या कुल पदों की संख्या का उतना प्रतिशत होगी जितना कि उनकी जनसंख्या का प्रतिशत पंचायत समिति की कुल जनसंख्या में है तथा इस क्रम में अनुमान्य पदों की संख्या की गणना में .5 या उससे अधिक रहने पर अगले पूर्णांक पर परिगणित की जायेगी। पंचायत समिति में ग्राम पंचायत सरपंच के कुल पदों का 50 प्रतिशत की अधिसीमा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों सहित कुल पदों का 20 प्रतिशत से अनधिक पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जायेगा। प्रत्येक कोटि के लिए आरक्षित पदों का 50 प्रतिशत से अनधिक पद संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा।

ग्राम कचहरी के सरपंच पदों का विभिन्न कोटि के लिए आवंटन:- पंचायत समिति के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी ग्राम कचहरी की अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं अन्य की जनसंख्या को प्रपत्र-2 भाग-2 में ग्राम कचहरी के निर्वाचन क्षेत्रवार अंकित किया जायेगा। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य की जनसंख्या को अवरोही क्रम में प्रपत्र-2 भाग-3 में अंकित किया जायेगा। तदनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के क्रम में प्रत्येक कोटि के लिए एक पद आवंटित किये जायेंगे तथा इस क्रम की पुनरावृत्ति तब तक की जायेगी जब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कोटि को अनुमान्य पदों की संख्या आवंटित न हो जाये। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पश्चात शेष निर्वाचन क्षेत्रों में कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को पिछड़े वर्ग के लिए उन्हें अनुमान्य संख्या में आवंटित किया जायेगा।

#### उदाहरण -5

खानपुर पंचायत समिति के अन्तर्गत कुल 19 ग्राम कचहरी में 4 पद अनुसूचित जाति, शून्य पद अनुसूचित जनजाति, 3 पद पिछड़ा वर्ग एवं 12 पद अन्य कोटि के लिए अनुमान्य हैं। प्रपत्र-2 भाग-3 में विभिन्न कोटि को चक्रानुक्रम में आवंटन करने पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या-10, 18, 1 एवं 7 अनुसूचित जाति को आवंटित होते हैं तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-8, 2, 13, 11, 15, 6, 17, 9, 4, 14, 16, 3, 5, 19 एवं 12 अन्य कोटि को आवंटित होते हैं। अन्य कोटि को आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों में से उनकी कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले पदों में से पिछड़े वर्गों के लिए 3 निर्वाचन क्षेत्र, यथा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-8, 2 एवं 13 पिछड़े वर्गों के लिए आवंटित किये जायेंगे , तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-11, 15, 6, 17, 9, 4, 14, 16, 3, 5, 19 एवं 12 अन्य कोटि के लिये आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 4 का 50 प्रतिशत से अनधिक अर्थात् 2 पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किये जायेंगे। इस निमित्त प्रपत्र-2 भाग-3 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में उपर आनेवाले निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 एवं 18 अनुसूचित जाति महिला के लिए आवंटित किये जायेंगे।

इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 3 का 50 प्रतिशत से अनधिक अर्थात एक पद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया जायेगा एवं इस निमित्त प्रपत्र-2 भाग-3 में कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाला निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आवंटित किया जायेगा।

इसी प्रकार अन्य कोटि के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 12 का 50 प्रतिशत से अनधिक अर्थात 6 पद अन्य कोटि महिला के लिए आरक्षित किया जायेगा एवं इस निमित्त प्रपत्र-2 भाग-3 में कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में उपर आने वाले निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11, 15, 6, 17, 9 एवं 4 अन्य कोटि महिला के लिए आवंटित किये जायेंगे।

6. स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए कुल मिलाकर आरक्षण की सीमा कुल पदों के पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अधीन होगी, उससे अधिक नहीं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बाद कुल पदों के अधिकतम बीस प्रतिशत तक स्थान पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जायेंगे। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या कुल पदों के चालीस प्रतिशत तक हो जाती है, तब वैसी स्थिति में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कुल स्थानों के दस प्रतिशत तक ही रखी जा सकेगी, न कि बीस प्रतिशत अथवा अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति /जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या कुल पदों के पचास प्रतिशत तक हो जाती है, तो वैसी स्थिति में पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जा सकेगा।

7. अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा- निर्देश के आलोक में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंचायत समिति के प्रमुख के पदों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं उन कोटि की महिलाओं के लिए अनुमान्य आरक्षण का प्रस्ताव उदाहरण में दिए गए प्रपत्र में संलग्न कार्यक्रम अनुसार ऐसे पदाधिकारियों के माध्यम से भेजा जाय, जो आयोग द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण करने में समर्थ हों। अच्छा होगा इस कार्य के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी अथवा प्रभारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को ही आपके द्वारा प्राधिकृत करते हुए प्रतिनियुक्त किया जाये ताकि वे पदाधिकारी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण प्रस्ताव के अनुमोदन में समुचित सहयोग प्रदान कर सकें। जिलों से भेजे जाने वाले आरक्षण प्रस्ताव पर जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

8. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 की दो प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न हैं। इसकी पर्याप्त प्रतियां अपने स्तर पर तैयार करवाकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना कृपया सुनिश्चित करेंगे। नियमावली के प्रपत्र -2 के भाग -दो के स्तम्भ 5 एवं भाग तीन के स्तम्भ 6 में क्रमशः 'पिछड़ा वर्ग' की जनसंख्या एवं 'अवरोही क्रम में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या' का उल्लेख है, जिसे पंचायत निर्वाचन, 2006 के परिप्रेक्ष्य में नजरअंदाज कर दिया जाय, क्योंकि तत्काल पिछड़े वर्ग की कोई जनसंख्या उपलब्ध नहीं है।

9. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के आरक्षित/ अनारक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 11 के अन्तर्गत प्रपत्र-3 में ग्राम पंचायत/ प्रखंड/ अनुमंडल एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में आयोग द्वारा दिये गये अनुमोदन के तीन दिनों के अन्दर प्रकाशित की जाये ताकि सभी इससे अवगत हो जायें और इसकी सूचना

आयोग को भी फैक्स द्वारा दी जाए। साथ ही जिला गजट में भी आरक्षित/ अनारक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना प्रकाशित कर दी जाय।

10. समय की अल्पता के दृष्टिगत आरक्षण प्रस्ताव जिला स्तर पर कैम्प कराकर वरीय पदाधिकारियों की देख-रेख में समन्वित रूप से तैयार कराये जायें ताकि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी बिना किसी दवाब के सही आरक्षण प्रस्ताव ससमय तैयार कर सकें, एवं आयोग स्तर पर जाँच के क्रम में त्रुटियाँ पाये जाने की संभावना कमतर हो। कृपया इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाये तथा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव

19.1.06

ज्ञापांक -पं.नि.-30-01/2005 - 222

पटना, दिनांक - 19.01.2006

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से भी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारियों(पंचायत) को समय-सीमा के अन्दर कार्य सम्पादित करने हेतु आवश्यक निदेश देने की कृपा करेंगे।

सचिव

19.1.06

ज्ञापांक -पं.नि.-30-01/2005 - 222

पटना, दिनांक - 19.01.2006

प्रतिलिपि, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0 अभि0 सं0, पंचायत राज, विधायक/ पार्षद योजना एवं कोशी क्रान्ति योजना का कार्य), बिहार, पटना/ निदेशक, पंचायत राज, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

19.1.06

(आरक्षण कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र-आवंटन पंजी)

जिला -

प्रखंड -

## प्रपत्र - 2, भाग - एक

कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद (सदस्य पद हेतु)

राज्य - बिहार  
 जिला परिषद -  
 पंचायत समिति -  
 ग्राम पंचायत - पिपरा बगाही

ग्राम पंचायत पिपरा बगाही की ग्रामीण जनसंख्या					कोटिवार अनुमान्य कुल पद			
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	कुल	कुल पद				
2274	0	6844	9118	14	3	0	2	9

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

(1) अनुसूचित जाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{2274}{9118} \times 14 = 3.49 = 3 \text{ पद}$$

(2) अनुसूचित जनजाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{0}{9118} \times 14 = 0.00 = 0 \text{ पद}$$

(3) पिछड़े वर्ग हेतु अनुमान्य पद की गणना

(क) कुल पद - 14

(ख) कुल पदों का यथाशक्य 50% पद - 7

(ग) कुल पदों का यथाशक्य 20% पद  $14 \times 1/5 = 2.8 = 2$  पद

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों की संख्या - 3

(ङ) पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या - 2

(4) अनारक्षित पदों की संख्या -  $14 - (3+2) = 9$  पद

## अनुसूची

## प्रपत्र - 2, भाग - दो

ग्राम पंचायत पिपरा बगाही का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनसंख्या			
		अनुसूचित जनजाति	अन्य	अनुसूचित जाति	कुल
1	2	3	4	5	6
1	औरंगाबाद / 14 -पिपरा बगाही पंचायत/ प्रा० नि० क्षे० -1 (W)	0	586	108	694
2	औरंगाबाद / 14 -पिपरा बगाही पंचायत/ प्रा० नि० क्षे० -2 (W)	0	490	114	604
3	औरंगाबाद / 14 -पिपरा बगाही पंचायत/ प्रा० नि० क्षे० -3 (W)	0	518	92	610
4	औरंगाबाद / 14 -पिपरा बगाही पंचायत/ प्रा० नि० क्षे० -4 (W)	0	488	144	632
5	औरंगाबाद / 14 -पिपरा बगाही पंचायत/ प्रा० नि० क्षे० -5 (SCW)	0	500	105	605
6	औरंगाबाद / 14 -पिपरा बगाही पंचायत/ प्रा० नि० क्षे० -6	0	460	128	588
7	औरंगाबाद / 14 -पिपरा बगाही पंचायत/ प्रा० नि० क्षे० -7	0	530	82	612
8	औरंगाबाद / 14 -पिपरा बगाही पंचायत/ प्रा० नि० क्षे० -8	0	526	78	604
9	औरंगाबाद / 14 -पिपरा बगाही पंचायत/ प्रा० नि० क्षे० -9 (SC)	0	414	364	778
10	औरंगाबाद / 14 -पिपरा बगाही पंचायत/ प्रा० नि० क्षे० -10	0	564	110	674
11	औरंगाबाद / 14 -पिपरा बगाही पंचायत/ प्रा० नि० क्षे० -11	0	480	112	592
12	औरंगाबाद / 14 -पिपरा बगाही पंचायत/ प्रा० नि० क्षे० -12 (SC)	0	286	316	602
13	औरंगाबाद / 14 -पिपरा बगाही पंचायत/ प्रा० नि० क्षे० -13	0	504	268	772
14	औरंगाबाद / 14 -पिपरा बगाही पंचायत/ प्रा० नि० क्षे० -14	0	498	253	751
			6844	2274	9118

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारीजिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

## प्रपत्र - 2, भाग - तीन

ग्राम पंचायत पिपरा बगाही का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या अवरोही क्रम में

क्रमांक	अवरोही क्रम में अ.जा.की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अन्य की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अ.जा. की जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में कुल जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0	586	1 ✓	364	9 x	778	9 ✓
2	0	0	564	10 ✓	316	12 x	772	13 x
3	0	0	530	7 ✓	268	13 ✓	751	14 x
4	0	0	526	8	253	14 ✓	694	1 ✓
5	0	0	518	3	144	4 ✓	674	10
6	0	0	504	13 x	128	6	632	4
7	0	0	500	5	114	2	612	7
8	0	0	498	14 x	112	11	610	3
9	0	0	490	2	110	10	605	5
10	0	0	488	4 x	108	1	604	2
11	0	0	480	11	105	5	604	8
12	0	0	460	6	92	3	602	12
13	0	0	414	9	82	7	592	11
14	0	0	286	12	78	8	588	6

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या - 9 एवं 1

## प्रपत्र - 2, भाग - चार (सदस्य पद के लिए)

ग्राम पंचायत पिपरा बगाही के सदस्य के पदों के लिए आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी

क्रमांक	ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अनुसूचित जन जाति		पिछड़ा वर्ग		अन्य		अनुसूचित जाति	
		महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1				अन्य				
2	2						अन्य		
3	3						अन्य		
4	4								अन्य
5	5					महिला			
6	6						अन्य		
7	7					महिला			
8	8					महिला			
9	9			महिला					
10	10					महिला			
11	11						अन्य		
12	12						अन्य		
13	13							महिला	
14	14								अन्य

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

अनुसूची  
प्रपत्र - 3

ग्राम पंचायत पिपरा बगाही के आरक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (सदस्य पद हेतु)

राज्य - बिहार  
जिला परिषद -  
पंचायत समिति -  
ग्राम पंचायत - पिपरा बगाही

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	कोटि जिसके लिए आरक्षित/अनारक्षित है	महिला के लिए आरक्षित/अन्य
1	2	3	4
1	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -1 (W)	पिछड़ा वर्ग	अन्य
2	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -2 (W)	अनारक्षित	अन्य
3	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -3 (W)	अनारक्षित	अन्य
4	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -4 (W)	अनुसूचित जाति	अन्य
5	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -5 (SCW)	अनारक्षित	महिला
6	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -6	अनारक्षित	अन्य
7	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -7	अनारक्षित	महिला
8	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -8	अनारक्षित	महिला
9	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -9 (SC)	पिछड़ा वर्ग	महिला
10	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -10	अनारक्षित	महिला
11	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -11	अनारक्षित	अन्य
12	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -12 (SC)	अनारक्षित	अन्य
13	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -13	अनुसूचित जाति	महिला
14	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -14	अनुसूचित जाति	अन्य

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

(आरक्षण कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र-आवंटन पंजी)

जिला - गया

प्रखंड -

## प्रपत्र - 2, भाग - एक

कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद (जिला परिषद सदस्य)

राज्य - बिहार

जिला - गया

गया जिला परिषद की ग्रामीण जनसंख्या					कोटिवार अनुमान्य कुल पद			
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	कुल	कुल पद				
946936	1224	2047979	2996135	46	15	0	8	23

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारीजिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

## (1) अनुसूचित जाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{946936}{2996135} \times 46 = 14.54 = 15 \text{ पद}$$

## (2) अनुसूचित जनजाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{1224}{2996135} \times 46 = 0.02 = 0 \text{ पद}$$

## (3) पिछड़े वर्ग हेतु अनुमान्य पद की गणना

(क) कुल पद - 46

(ख) कुल पदों का यथाशक्य 50% पद - 23

(ग) कुल पदों का यथाशक्य 20% पद  $46 \times 1/5 = 9.2 = 9$  पद

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों की संख्या - 15

(ङ) पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या = 8

(चूँकि  $15 + 9 = 24 > 23$ )

(50% की अधिसीमा के अंधीन)

(4) अनारक्षित पदों की संख्या -  $46 - (15+8) = 23$  पद

## प्रपत्र - 2, भाग - दो

## गया जिला परिषद का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनसंख्या			
		अनुसूचित जनजाति	अन्य	अनुसूचित जाति	कुल
1	2	3	4	5	6
1	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -1 (W)	14	63770	16977	80761
2	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -2 (W)	0	57919	19927	77846
3	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -3 (W)	12	50458	14289	64759
4	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -4 (W)	26	33615	11494	45135
5	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -5 (W)	3	58203	23602	81808
6	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -6 (W)	0	48297	16788	65085
7	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -7 (W)	0	43960	12863	56823
8	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -8 (W)	0	41398	13961	55359
9	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -9 (W)	0	51673	21062	72735
10	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -10 (W)	0	50164	20034	70198
11	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -11	0	57273	21706	78979
12	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -12	0	44929	20431	65360
13	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -13	69	52729	24521	77319
14	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -14 (SCW)	0	59767	5210	64977
15	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -15	0	38213	15840	54053
16	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -16	0	42012	17314	59326
17	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -17 (SCW)	0	31662	21802	53464
18	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -18	0	36685	18367	55052
19	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -19	77	52782	21340	74199
20	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -20 (SCW)	0	36787	22102	58889
21	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -21	0	42675	16202	58877
22	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -22	0	35615	15601	51216
23	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -23	33	57528	26239	83800
24	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -24 (SCW)	0	45448	26008	71456
25	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -25	0	47425	23972	71397
26	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -26 (SCW)	164	51808	29668	81640
27	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -27	29	31895	18988	50912
28	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -28	234	28976	20232	49442
29	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -29 (SC)	80	48177	28868	77125
30	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -30 (SC)	67	47955	27039	75061
31	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -31	0	29829	17656	47485
32	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -32 (SC)	29	30379	21818	52226
33	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -33 (SC)	0	66761	21826	88587
34	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -34 (SC)	129	35963	25430	61522
35	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -35	0	37868	18373	56241
36	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -36 (SC)	67	49408	25620	75095
37	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -37 (SC)	37	49948	30559	80544
38	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -38	0	29621	17041	46662
39	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -39	0	30304	17131	47435
40	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -40 (SC)	0	47660	23432	71092
41	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -41	0	42143	20585	62728
42	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -42	121	32096	17450	49667
43	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -43 (SC)	33	48650	30154	78837
44	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -44 (SC)	0	52850	30130	82980
45	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -45	0	39833	16299	56132
46	गया, जिला परिषद/प्रा० नि० क्षे० -46	0	34868	20985	55853
		1224	2047979	946936	2996135

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

प्रपत्र - 2, भाग - 18 - तीन

जिला परिषद गया का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या अवरोही क्रम में

क्रमांक	अवरोही क्रम में अ.ज.जा की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अन्य की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अ.जा. की जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में कुल जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	234	28	66761	33 ✓	30559	33 X	88587	33 ✓
2	164	26	63770	1 ✓	30154	37 X	83800	23 X
3	129	34	59767	14 ✓	30130	43 X	82980	44 ✓
4	121	42	58203	5 ✓	29668	44 X	81808	5 ✓
5	80	29	57919	2 ✓	28868	26 X	81640	26 ✓
6	77	19	57528	23 X	27039	29 X	80761	1 ✓
7	69	13	57273	11 X	26239	30 X	80544	37 ✓
8	67	30	52850	44 ✓	26008	23 ✓	78979	11 X
9	67	36	52782	19 X	25620	24 X	78837	43 ✓
10	37	37	52729	13 X	25430	36 X	77846	2 ✓
11	33	23	51808	26 ✓	24521	34 X	77319	13
12	33	43	51673	9 X	23972	13 ✓	77125	29
13	29	27	50458	3 ✓	23602	25 ✓	75095	36
14	29	32	50164	10 ✓	23432	5 X	75061	30
15	26	4	49948	37 ✓	22102	40 X	74199	19
16	14	1	49408	36 ✓	21826	20 X	72735	9
17	12	3	48650	43 ✓	21818	32 X	71456	24
18	3	5	48297	6 ✓	21802	17 X	71397	25
19	0		48177	29 ✓	21706	11 ✓	71092	40
20	0		47955	30 ✓	21340	19 ✓	70198	10
21	0		47660	40	21062	9 ✓	65360	12
22	0		47425	25 X	20985	46 ✓	65085	6
23	0		45448	24	20585	41 ✓	64977	14
24	0		44929	12 X	20431	12 ✓	64759	3
25	0		43960	7	20232	28 ✓	62728	41
26	0		42675	21	20034	10 X	61522	34
27	0		42143	41 X	19927	2 X	59326	16
28	0		42012	16	18988	27 ✓	58889	20
29	0		41398	8	18373	35 ✓	58877	21
30	0		39833	45	18367	18 ✓	56823	7
31	0		38213	15	17656	31 ✓	56241	35
32	0		37868	35 X	17450	42 ✓	56132	45
33	0		36787	20	17314	16	55853	46
34	0		36685	18 X	17131	39	55359	8
35	0		35963	34	17041	38	55052	18
36	0		35615	22	16977	1 X	54053	15
37	0		34868	46 X	16788	6 X	53464	17
38	0		33615	4	16299	45	52226	32
39	0		32096	42 X	16202	21	51216	22
40	0		31895	27 X	15840	15	50912	27
41	0		31662	17	15601	22	49667	42
42	0		30379	32	14289	3 X	49442	28
43	0		30304	39	13961	8	47485	31
44	0		29829	31 X	12863	7	47435	39
45	0		29621	38	11494	4	46662	38
46	0		28976	28 X	5210	14 X	45135	4

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र संख्या - 33, 44, 5, 26, 1, 37, 43 एवं 2

प्रपत्र - 2, <sup>19</sup> भाग - चार

जिला परिषद गया के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी

क्रमांक	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अनुसूचित जन जाति		पिछड़ा वर्ग		अन्य		अनुसूचित जाति	
		महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1(W)				अन्य				
2	2(W)				अन्य				
3	3(W)						अन्य		
4	4(W)						अन्य		
5	5(W)			महिला					
6	6(W)						अन्य		
7	7(W)						अन्य		
8	8(W)						अन्य		
9	9(W)							महिला	
10	10(W)						अन्य		
11	11							महिला	
12	12								अन्य
13	13							महिला	
14	14(SCW)					महिला			
15	15					महिला			
16	16					महिला			
17	17(SCW)						अन्य		
18	18								अन्य
19	19							महिला	
20	20(SCW)					महिला			
21	21					महिला			
22	22						अन्य		
23	23							महिला	
24	24(SCW)					महिला			
25	25							महिला	
26	26(SCW)			महिला					
27	27								अन्य
28	28								अन्य
29	29(SC)					महिला			
30	30(SC)					महिला			
31	31								अन्य
32	32(SC)						अन्य		
33	33(SC)			महिला					
34	34(SC)						अन्य		
35	35								अन्य
36	36(SC)					महिला			
37	37(SC)				अन्य				
38	38						अन्य		
39	39						अन्य		
40	40(SC)					महिला			
41	41								अन्य
42	42								अन्य
43	43(SC)				अन्य				
44	44(SC)			महिला					
45	45					महिला			
46	46							महिला	

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)



(आरक्षण कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र-आवंटन पंजी)

जिला -

प्रखंड -

प्रपत्र - 2, भाग - एक

कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद (मुखिया पद हेतु)

राज्य - बिहार  
जिला - समस्तीपुर  
प्रखंड - खानपुर

खानपुर प्रखंड की ग्रामीण जनसंख्या					कोटिवार अनुमान्य कुल पद			
1	2	3	4	5	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	कुल	कुल पद (कुल पंचायत)	6	7	8	9
29368	11	122033	151412	19	4	0	3	12

ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक      प्रखंड विकास पदाधिकारी      जिला पंचायत राज पदाधिकारी      अपर समाहर्ता      जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

(1) अनुसूचित जाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{29368}{151412} \times 19 = 3.69 = 4 \text{ पद}$$

(2) अनुसूचित जनजाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{11}{151412} \times 19 = 0.00 = 0 \text{ पद}$$

(3) पिछड़े वर्ग हेतु अनुमान्य पद की गणना

(क) कुल पद - 19

(ख) कुल पदों का यथाशक्य 50% पद - 9

(ग) कुल पदों का यथाशक्य 20% पद  $19 \times 1/5 = 3.8 = 3$  पद

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों की संख्या - 4

(ङ) पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या - 3

(4) अनारक्षित पदों की संख्या -  $19 - (4+3) = 12$  पद

प्रखंड खानपुर के पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या (मुखिया पद हेतु)

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनसंख्या			
		अनुसूचित जनजाति	अन्य	अनुसूचित जाति	कुल
1	2	3	4	5	6
1	समस्तीपुर/ खानपुर/ कानु विशुनपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 1	0	7788	2318	10106
2	समस्तीपुर/ खानपुर/ लौआकला का निर्वाचन क्षेत्र - 2	0	7980	1363	9343
3	समस्तीपुर/ खानपुर/ मानिकपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 3	0	5304	1474	6778
4	समस्तीपुर/ खानपुर/ करही का निर्वाचन क्षेत्र - 4	3	5889	1374	7266
5	समस्तीपुर/ खानपुर/ बेदौली का निर्वाचन क्षेत्र - 5	0	5084	1142	6226
6	समस्तीपुर/ खानपुर/ सरैया का निर्वाचन क्षेत्र - 6	0	6515	1594	8109
7	समस्तीपुर/ खानपुर/ कन्हौली का निर्वाचन क्षेत्र - 7	0	6628	1998	8626
8	समस्तीपुर/ खानपुर/ पौगम्बरपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 8	0	9631	2147	11778
9	समस्तीपुर/ खानपुर/ भुसाव का निर्वाचन क्षेत्र - 9	0	5927	1140	7067
10	समस्तीपुर/ खानपुर/ पिठौरी का निर्वाचन क्षेत्र - 10	0	7580	2404	9984
11	समस्तीपुर/ खानपुर/ सिसई का निर्वाचन क्षेत्र - 11	0	7220	1571	8791
12	समस्तीपुर/ खानपुर/ सहाजीतपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 12	0	4335	875	5210
13	समस्तीपुर/ खानपुर/ सतुआ का निर्वाचन क्षेत्र - 13	0	7266	2026	9292
14	समस्तीपुर/ खानपुर/ बनियापुर का निर्वाचन क्षेत्र - 14	0	5662	1137	6799
15	समस्तीपुर/ खानपुर/ कराह का निर्वाचन क्षेत्र - 15	0	6576	999	7575
16	समस्तीपुर/ खानपुर/ हरपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 16	8	5410	845	6263
17	समस्तीपुर/ खानपुर/ मानोपाली का निर्वाचन क्षेत्र - 17	0	6252	987	7239
18	समस्तीपुर/ खानपुर/ धवरी का निर्वाचन क्षेत्र - 18	0	6540	2396	8936
19	समस्तीपुर/ खानपुर/ गोआपिपरपाती का निर्वाचन क्षेत्र - 19	0	4726	1308	6034
		<b>29368</b>	<b>11</b>	<b>122033</b>	<b>151412</b>

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

## प्रपत्र - 2, भाग - तीन

प्रखंड खानपुर के पंचायतों की कोटिवार जनसंख्या अवरोही क्रम में (मुखिया पद हेतु)

क्रमांक	अवरोही क्रम में अ.ज.जा की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अन्य की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अ.जा. की जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में कुल जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8	16	9631	8✓	2404	10✓	11778	8✓
2	3	4	7980	2✓	2396	18✓	10106	1✓
3			7788	1✓	2318	1 <sup>X</sup>	9984	10 <sup>X</sup>
4			7580	10 <sup>X</sup>	2147	8 <sup>X</sup>	9343	2✓
5			7266	13 <sup>X</sup>	2026	13✓	9292	13
6			7220	11✓	1998	7✓	8936	18
7			6628	7	1594	6	8791	11
8			6576	15	1571	11	8626	7
9			6540	18	1474	3	8109	6
10			6515	6	1374	4	7575	15
11			6252	17	1363	2	7266	4
12			5927	9	1308	19	7239	17
13			5889	4	1142	5	7067	9
14			5662	14	1140	9	6799	14
15			5410	16	1137	14	6778	3
16			5304	3	999	15	6263	16
17			5084	5	987	17	6226	5
18			4726	19	875	18	6034	19
19			4335	12	845	16	5210	12

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारीजिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

पिछड़े वर्ग के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्र संख्या - 8, 2 एवं 1

## प्रपत्र - 2, भाग - चार (मुखिया पद के लिए)

पंचायत समिति खानपुर के ग्राम पंचायतों के मुखिया के पदों के लिए आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी

क्रमांक	ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अनुसूचित जन जाति		पिछड़ा वर्ग		अन्य		अनुसूचित जाति	
		महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1				अन्य				
2	2				अन्य				
3	3						अन्य		
4	4					महिला			
5	5						अन्य		
6	6					महिला			
7	7								अन्य
8	8			महिला					
9	9					महिला			
10	10							महिला	
11	11					महिला			
12	12						अन्य		
13	13								अन्य
14	14						अन्य		
15	15					महिला			
16	16						अन्य		
17	17					महिला			
18	18							महिला	
19	19						अन्य		

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

25  
अनुसूची  
प्रपत्र - 3

प्रखंड खानपुर के पंचायत के आरक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (मुखिया पद हेतु)

राज्य - बिहार  
जिला - समस्तीपुर  
प्रखंड - खानपुर

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	कोटि जिसके लिए आरक्षित/अनारक्षित है	महिला के लिए आरक्षित/अन्य
1	2	3	4
1	समस्तीपुर/ खानपुर/ कानु विशुनपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 1	पिछड़ा वर्ग	अन्य
2	समस्तीपुर/ खानपुर/ लौआकला का निर्वाचन क्षेत्र - 2	पिछड़ा वर्ग	अन्य
3	समस्तीपुर/ खानपुर/ मानिकपुरा का निर्वाचन क्षेत्र - 3	अनारक्षित	अन्य
4	समस्तीपुर/ खानपुर/ करही का निर्वाचन क्षेत्र - 4	अनारक्षित	महिला
5	समस्तीपुर/ खानपुर/ बेदौली का निर्वाचन क्षेत्र - 5	अनारक्षित	अन्य
6	समस्तीपुर/ खानपुर/ सरैया का निर्वाचन क्षेत्र - 6	अनारक्षित	महिला
7	समस्तीपुर/ खानपुर/ कन्हौली मनोहर का निर्वाचन क्षेत्र - 7	अनुसूचित जाति	अन्य
8	समस्तीपुर/ खानपुर/ पैगम्बरपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 8	पिछड़ा वर्ग	महिला
9	समस्तीपुर/ खानपुर/ भुसाव का निर्वाचन क्षेत्र - 9	अनारक्षित	महिला
10	समस्तीपुर/ खानपुर/ पिठौरी का निर्वाचन क्षेत्र - 10	अनुसूचित जाति	महिला
11	समस्तीपुर/ खानपुर/ सिसई का निर्वाचन क्षेत्र - 11	अनारक्षित	महिला
12	समस्तीपुर/ खानपुर/ सहाजीतपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 12	अनारक्षित	अन्य
13	समस्तीपुर/ खानपुर/ सतुआ का निर्वाचन क्षेत्र - 13	अनुसूचित जाति	अन्य
14	समस्तीपुर/ खानपुर/ बनियापुर का निर्वाचन क्षेत्र - 14	अनारक्षित	अन्य
15	समस्तीपुर/ खानपुर/ कराह का निर्वाचन क्षेत्र - 15	अनारक्षित	महिला
16	समस्तीपुर/ खानपुर/ हरपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 16	अनारक्षित	अन्य
17	समस्तीपुर/ खानपुर/ मानोपाली का निर्वाचन क्षेत्र - 17	अनारक्षित	महिला
18	समस्तीपुर/ खानपुर/ धवरी का निर्वाचन क्षेत्र - 18	अनुसूचित जाति	महिला
19	समस्तीपुर/ खानपुर/ गोआपिपरपाती का निर्वाचन क्षेत्र - 19	अनारक्षित	अन्य

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

(आरक्षण कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र-आवंटन पंजी)

जिला -

प्रखंड -

## प्रपत्र - 2, भाग - एक

कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद (पंच पद हेतु)

राज्य - बिहार  
जिला परिषद -  
पंचायत समिति -  
ग्राम कचहरी - पिपरा बगाही

ग्राम पंचायत पिपरा बगाही की ग्रामीण जनसंख्या					कोटिवार अनुमान्य कुल पद			
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	कुल	कुल पद				
2274	0	6844	9118	14	3	0	2	9

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

(1) अनुसूचित जाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{2274}{9118} \times 14 = 3.49 = 3 \text{ पद}$$

(2) अनुसूचित जनजाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{0}{9118} \times 14 = 0.00 = 0 \text{ पद}$$

(3) पिछड़े वर्ग हेतु अनुमान्य पद की गणना

(क) कुल पद - 14

(ख) कुल पदों का यथाशक्य 50% पद - 7

(ग) कुल पदों का यथाशक्य 20% पद  $14 \times 1/5 = 2.8 = 2$  पद

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों की संख्या - 3

(ङ) पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या - 2

(4) अनारक्षित पदों की संख्या -  $14 - (3+2) = 9$  पद

## प्रपत्र - 2, भाग - दो (पंच पद हेतु)

ग्राम कचहरी पिपरा बगाही का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनसंख्या			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6
1	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही कचहरी/प्रा० नि० क्षे० -1	108	0	586	694
2	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही कचहरी/प्रा० नि० क्षे० -2	114	0	490	604
3	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही कचहरी/प्रा० नि० क्षे० -3	92	0	518	610
4	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही कचहरी/प्रा० नि० क्षे० -4	144	0	488	632
5	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही कचहरी/प्रा० नि० क्षे० -5	105	0	500	605
6	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही कचहरी/प्रा० नि० क्षे० -6	128	0	460	588
7	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही कचहरी/प्रा० नि० क्षे० -7	82	0	530	612
8	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही कचहरी/प्रा० नि० क्षे० -8	78	0	526	604
9	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही कचहरी/प्रा० नि० क्षे० -9	364	0	414	778
10	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही कचहरी/प्रा० नि० क्षे० -10	110	0	564	674
11	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही कचहरी/प्रा० नि० क्षे० -11	112	0	480	592
12	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही कचहरी/प्रा० नि० क्षे० -12	316	0	286	602
13	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही कचहरी/प्रा० नि० क्षे० -13	268	0	504	772
14	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही कचहरी/प्रा० नि० क्षे० -14	253	0	498	751
		2274	0	6844	9118

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारीजिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

## प्रपत्र - 2, भाग - चार (पंच पद के लिए)

ग्राम कचहरी पिपरा बगाही के पंच के पदों के लिए आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी

क्रमांक	ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अनुसूचित जन जाति		पिछड़ा वर्ग		अन्य		अनुसूचित जाति	
		महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1				अन्य				
2	2						अन्य		
3	3					महिला			
4	4						अन्य		
5	5						अन्य		
6	6						अन्य		
7	7					महिला			
8	8					महिला			
9	9							महिला	
10	10					महिला			
11	11						अन्य		
12	12								अन्य
13	13								अन्य
14	14			महिला					

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

(आरक्षण कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र-आवंटन पंजी)

जिला -

प्रखंड -

प्रपत्र - 2, भाग - एक

कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद (सरपंच पद हेतु)

राज्य - बिहार  
जिला - समस्तीपुर  
प्रखंड - खानपुर

खानपुर प्रखंड की ग्रामीण जनसंख्या					कोटिवार अनुमान्य कुल पद			
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	कुल	कुल पद (कुल पंचायत)				
29368	11	122033	151412	19	4	0	3	12

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

(1) अनुसूचित जाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{29368}{151412} \times 19 = 3.69 = 4 \text{ पद}$$

(2) अनुसूचित जनजाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{11}{151412} \times 19 = 0.00 = 0 \text{ पद}$$

(3) पिछड़े वर्ग हेतु अनुमान्य पद की गणना

(क) कुल पद - 19

(ख) कुल पदों का यथाशक्य 50% पद - 9

(ग) कुल पदों का यथाशक्य 20% पद  $19 \times 1/5 = 3.8 = 3$  पद

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों की संख्या - 4

(ङ) पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या - 3

(4) अनारक्षित पदों की संख्या -  $19 - (4+3) = 12$  पद

## प्रपत्र - 2, भाग - तीन

प्रखंड खानपुर के पंचायतों की कोटिवार जनसंख्या अवरोही क्रम में (सरपंच पद हेतु)

क्रमांक	अवरोही क्रम में अ.जा की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अ.जा. की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अन्य की जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में कुल जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2404	10 ✓	8	16	9631	8 ✓	11778	8 ✓
2	2396	18 ✓	3	4	7980	2 ✓	10106	1 X
3	2318	1 ✓			7788	1X	9984	10 X
4	2147	8 X			7580	10X	9343	2 ✓
5	2026	13 X			7266	13 ✓	9292	13 ✓
6	1998	7 ✓			7220	11 ✓	8936	18
7	1594	6			6628	7 X	8791	11
8	1571	11			6576	15	8626	7
9	1474	3			6540	18 X	8109	6
10	1374	4			6515	6	7575	15
11	1363	2 X			6252	17	7266	4
12	1308	19			5927	9	7239	17
13	1142	5			5889	4	7067	9
14	1140	9			5662	14	6799	14
15	1137	14			5410	16	6778	3
16	999	15			5304	3	6263	16
17	987	17			5084	5	6226	5
18	875	18			4726	19	6034	19
19	845	16			4335	12	5210	12

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

पिछड़े वर्ग हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या - 8, 2 एवं 13

## प्रपत्र - 2, भाग - चार

पंचायत समिति खानपुर के ग्राम पंचायतों के मुखिया/सरपंच के पदों के लिए आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी

क्रमांक	ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अनुसूचित जन जाति		पिछड़ा वर्ग		अन्य		अनुसूचित जाति	
		महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1								अन्य
2	2				अन्य				
3	3						अन्य		
4	4					महिला			
5	5						अन्य		
6	6					महिला			
7	7								अन्य
8	8			महिला					
9	9					महिला			
10	10							महिला	
11	11					महिला			
12	12						अन्य		
13	13				अन्य				
14	14						अन्य		
15	15					महिला			
16	16						अन्य		
17	17					महिला			
18	18							महिला	
19	19						अन्य		

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)

प्रखंड खानपुर के पंचायत के आरक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (सरपंच पद हेतु)

राज्य - बिहार  
जिला - समस्तीपुर  
प्रखंड - खानपुर

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	कोटि जिसके लिए आरक्षित/ अनारक्षित है	महिला के लिए आरक्षित/ अन्य
1	2	3	4
1	समस्तीपुर/ खानपुर/ कानु विशुनपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 1	अनुसूचित जाति	अन्य
2	समस्तीपुर/ खानपुर/ लौआकला का निर्वाचन क्षेत्र - 2	पिछड़ा वर्ग	अन्य
3	समस्तीपुर/ खानपुर/ मानिकपुरा का निर्वाचन क्षेत्र - 3	अनारक्षित	अन्य
4	समस्तीपुर/ खानपुर/ करही का निर्वाचन क्षेत्र - 4	अनारक्षित	महिला
5	समस्तीपुर/ खानपुर/ बेदोली का निर्वाचन क्षेत्र - 5	अनारक्षित	अन्य
6	समस्तीपुर/ खानपुर/ सरेया का निर्वाचन क्षेत्र - 6	अनारक्षित	महिला
7	समस्तीपुर/ खानपुर/ कन्हौली मनोहर का निर्वाचन क्षेत्र - 7	अनुसूचित जाति	अन्य
8	समस्तीपुर/ खानपुर/ पैगम्बरपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 8	पिछड़ा वर्ग	महिला
9	समस्तीपुर/ खानपुर/ भुसाव का निर्वाचन क्षेत्र - 9	अनारक्षित	महिला
10	समस्तीपुर/ खानपुर/ पिठौरी का निर्वाचन क्षेत्र - 10	अनुसूचित जाति	महिला
11	समस्तीपुर/ खानपुर/ सिसई का निर्वाचन क्षेत्र - 11	अनारक्षित	महिला
12	समस्तीपुर/ खानपुर/ सहाजीतपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 12	अनारक्षित	अन्य
13	समस्तीपुर/ खानपुर/ सतुआं का निर्वाचन क्षेत्र - 13	पिछड़ा वर्ग	अन्य
14	समस्तीपुर/ खानपुर/ बनियापुर का निर्वाचन क्षेत्र - 14	अनारक्षित	अन्य
15	समस्तीपुर/ खानपुर/ फरहा का निर्वाचन क्षेत्र - 15	अनारक्षित	महिला
16	समस्तीपुर/ खानपुर/ हरपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 16	अनारक्षित	अन्य
17	समस्तीपुर/ खानपुर/ मानोपाली का निर्वाचन क्षेत्र - 17	अनारक्षित	महिला
18	समस्तीपुर/ खानपुर/ धवरी का निर्वाचन क्षेत्र - 18	अनुसूचित जाति	महिला
19	समस्तीपुर/ खानपुर/ गोवा पिपरपाती का निर्वाचन क्षेत्र - 19	अनारक्षित	अन्य

जिला पंचायत राज  
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (पंचायत)